3-5-18 [illegible]

[illegible] ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक [illegible]

3 12-5-18

राजस्व लोक अदालत अभियान

न्याय आपके द्वार 2018

लोहीरामजी

28-8-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत [illegible] में प्रस्तुत हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने वादग्रस्त भूमि का 1200 वर्ग गज 0.08 हे. का क्रय मौखिक वाद पर स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। मौखिक वाद ए.ने. 1200 वर्ग गज 0.08 हे. भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने हेतु वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा की पूर्ति निमित्त कोई प्रमाण न्यायालय में नहीं है। अतः (अपील) वादी का वाद खारिज किया जाता है। प्रकरण कौशल [illegible] होने से इस से इलावा इसमें लिखित [illegible] नहीं है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नागौर के समक्ष आम सहमति [illegible] जाकर सुनाया गया।

28-8-18

सहायक कलक्टर

नागौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नागौर जिला नागौर